

ट्रक चालक कृपया ध्यान दें

- ▶ आप दिल्ली शहर में हैं
- ▶ आपकी गति सीमा ४० कि मी प्रति घंटा है
- ▶ आप सड़क के बाईं तरफ बस लेन में चलें
- ▶ आप किसी चलते हुए वाहन को ओवरटेक न करें
- ▶ पैदल यात्री और छोटे वाहनों का ध्यान रखें
- ▶ यातायात नियमों का पालन करें

**सड़क नियमों का पालन न करने पर भारी
जुर्माना व गाड़ी जब्त हो सकती है।**



24 x 7 यातायात पुलिस हैल्पलाइन न०.: 25844444,
1095, SMS: 56767

ई-मेल : info@delhitrafficpolice.nic.in

वेबसाइट : www.delhitrafficpolice.nic.in

दिल्ली यातायात पुलिस